

वाणिज्य-कर विभाग

—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :-06/अ0-03-09/2022

पटना, दिनांक—

श्री राजेश कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (तृतीय सीमित), गया अंचल-2, गया को वित्त विभाग के पत्रांक-8043 दिनांक-11.10.2017 की कंडिका 3 (G) (i) छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) की सुविधा प्रदान किये जाने के प्रावधान के आलोक में दिनांक-02.04.2025 से 17.04.2025 तक उपार्जित अवकाश की अवधि में कोच्चि (केरल) सपरिवार छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(ज्योति प्रकाश)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।

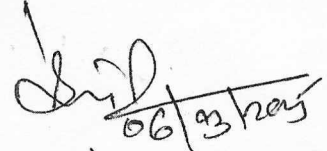
ज्ञापांक:-06/अ0-03-09/2022

1142

पटना, दिनांक—

06/03/2025

प्रतिलिपि:—महालेखाकार (ले0 एवं ह0)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया/राज्य-कर उपायुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच0आर0एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेश कुमार, राज्य-कर उपायुक्त (तृतीय सीमित), गया अंचल-2, गया को सूचनार्थ प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग

बिहार, पटना।